न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 26 / 2013

1 खुमाणसिंह आयु 55 वर्ष पुत्र भींवसिंह जाति राजपुत निवासी सिंहासन तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 कुन्दन सिंह पुत्र नारायण सिंह।
2 सायर कंवर पत्नी कुन्दनसिंह।
3 मनोज कंवर पत्नी मनोहरसिंह।
4 रिसाल कंवर बेवा नारायण सिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण सिंहासन तहसील व जिला सीकर।
5 तहसीलदार तहसील सीकर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 28.03.2013 पत्रावली संख्या 208 / 2013 बउनवानी खुमाणसिंह बनाम कुन्दनसिंह आदि

अपील संख्या 27 / 2013

1 खुमाणसिंह आयु 55 वर्ष पुत्र भींवसिंह जाति राजपुत निवासी सिंहासन तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बनाम

1 कुन्दन सिंह पुत्र नारायण सिंह।
2 जतन कंवर बेवा भीमसिंह (फोत)।
3 भंवर कंवर पुत्री भीमसिंह पत्नी पेपसिंह।
4 सांयर कंवर पुत्री भीमसिंह पत्नी केशरसिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण आसपुरा तहसील कुचामन जिला नागौर।
5 घेवर कंवर पुत्री भीमसिंह पत्नी लक्ष्मण सिंह जाति राजपुत निवासी जरेस तहसील डीडवाना जिला नागौर।
6 चन्दकंवर पुत्री भीमसिंह पत्नी उगमसिंह जाति राजपुत निवासी सिंगरावट छोटी तहसील डीडवाना जिला नागौर।
7 घीरसिंह पुत्र नन्दलाल सिंह।
8 माधोसिंह पुत्र नन्दलाल सिंह।
9 प्रेम कंवर बेवा नन्दलाल सिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण सिंहासन तहसील व जिला सीकर।
9/1 भंवरकंवर पुत्री नन्दलाल सिंह पत्नी जगदीश सिंह जाति राजपुत निवासी गेलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर।
10 उप पंजियक सीकर।
11 तहसीलदार तहसील सीकर जिला सीकर।
12 अधिक्षण अभियन्ता अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड सीकर।
13 अधिशाषी अभियन्ता अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड सीकर।
14 सहायक अभियन्ता महोदय अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड पिपराली तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी
सीकर दिनांक 28.03.2013 पत्रावली संख्या 213/2011
बउनवानी कुन्दनसिंह बनाम खुमाणसिंह आदि

उपस्थिति :

1. श्री शिवकुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 01.03.2021

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा संख्या 213/2011, 208/2013 मे पारित निर्णय दिनांक 28.03.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलो के तथ्य समान है अत दोना अपीलो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है निर्णय की प्रतियां दोनो पत्रावलीयों मे प्रथक प्रथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट ने अप्रार्थी रेस्पोडेंट के विरूद्व विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र संख्या 208/2013 भूमि खसरा नम्बर 151/682, 151 ग्राम सिंहासन तहसील व जिला सीकर बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया। इसी प्रकार प्रार्थी कुन्दन सिंह ने इन्ही भूमियों बाबत प्रार्थना पत्र संख्या 213/2011 प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से दोनो आवेदनों का एक साथ निर्णय कर दोनो आवेदन स्वीकार कर दावे के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है। इससे व्यथित होकर यह दोनों अपीले खुमाण सिंह की और से प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में किसी भी साल संवत की जमाबंदी प्रस्तुत नही की जिससे यह प्रमाणित हो कि विवादित कृषि भूमियां रेस्पोडेंट संख्या 1 अथवा उसके पूर्वज नारायण सिंह के कब्जे काश्त व खातेदारी की रही हो इसके विपरित अपीलार्थी द्वारा दफा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भरे गये नामान्तकरण संख्या 84 से लेकर संवत 2017 से 2055 तक की जमाबंदी प्रस्तुत की हुई है तथा विवादित भूमियों में बने मकानात के लगे विधुत व जल सम्बंध के बिल पेश किये गये है। विवादित कृषि भूमियों के किसी भी हिस्से पर रेस्पोडेंट संख्या 1 कुन्दनसिंह व उसके पूर्वज नारायणसिंह का कब्जा काश्त नही होते हुये भी एवं कब्जे काश्त का कोई दस्तावेज सबूल नही होते हुये भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28.03.2013 में यह अंकित कर कि प्रार्थी कुन्दनसिंह के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण दखन न करे सख्त कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली वास्ते जवाब चल रही थी तथा रेस्पोडेंट ने ना तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब ही प्रस्तुत कर अपीलार्थी के आवेदन का कोई खण्डन ही किया ना ही अपीलांट के आवेदन के खण्डन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत की, तथा ना ही कोई काउटन आवेदन था। दिनांक 21.03.2013 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली संख्या 208/2011 वास्ते जवाब हेतु नियत थी तथा एक अन्य पत्रावली 213/2011 कुन्दनसिंह बनाम खुमानसिंह जो रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा उक्त पत्रावली संख्या 208/2013 के पश्चात इन्ही कृषि भूमियो के सम्बंध में लम्बित थी जो वास्ते बहस नियत थी तथा अपीलार्थी के वकील ने प्रकरण संख्या 213/2011 में बहस की गई थी परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आवेदन व बिना किसी निवेदन के अपनी मनमर्जी से दोनों पत्रावलीयों को कन्सोलिडेट कर अपना आदेश पारित किया है। विद्वान अधिवक्ता ने दोनो अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त करने का निवेदन किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि कृषि भूमियां खसरा नम्बर 151,151/682 जिनके पुराने खसरा नम्बर 93/2 है, जो कि प्रार्थी, प्रतिवादी एंव अप्रार्थी की पैतृक भूमियां है। यह स्वीकृत तथ्य है कि हरनाथसिंह का एक पुत्र भानसिंह नाऔलाद फौत हो गया एवं मृतक भानसिंह के दो भाई भींवसिंह व नारायण सिंह है। राजस्व रिकार्ड में मृतक भानसिंह का नाम दर्ज थी, जिसके वारिस उसके भाई भीमसिंह व नारायण सिह थें। किन्तु इसके बाद नारायण सिंह का नाम दर्ज नहीं हुआ इसलिए आवेदन पत्र संख्या 213/2011 में प्रार्थी कुन्दनसिंह के पक्ष में मामला प्रथम दृष्टया बनना पाया गया है। विवादित भूमि अप्रार्थीगण खुमानसिंह वगैरह के पूर्वज भीमसिंह द्वारा खरीदी हुई होने का कोई प्रमाण पत्रावली में मौजूद नहीं है। प्रार्थी का वाद उदघोषणा का है। सजरा खानदान से स्पष्ट है कि दोनों पक्षकारान एक ही पूर्वज हरनाथ सिंह के वंशज है। तथा ग्राम गुंगारा में स्थित भूमियां हरनाथसिंह के दोनों पुत्रों भींवसिंह व नारायण सिंह को मिली है। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर विवेचन कर ताफैसला वाद उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। दोनो पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि कृषि भूमियां खसरा नम्बर 151,151/682 जिनके पुराने खसरा नम्बर 93/2 है, जो कि प्रार्थी, प्रतिवादी एंव अप्रार्थी की पैतृक भूमियां है। यह स्वीकृत तथ्य है कि हरनाथसिंह का एक पुत्र भानसिंह नाऔलाद फौत हो गया एवं मृतक भानसिंह के दो भाई भींवसिंह व नारायण सिंह है। राजस्व रिकार्ड में मृतक भानसिंह का नाम दर्ज थी, जिसके वारिस उसके भाई भीमसिंह व नारायण सिह थें। किन्तु इसके बाद नारायण सिंह का नाम दर्ज नहीं हुआ इसलिए आवेदन पत्र संख्या 213/2011 में प्रार्थी कुन्दनसिंह के पक्ष में मामला प्रथम दृष्टया बनना मानने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नही की है। विवादित भूमि अप्रार्थीगण खुमानसिंह वगैरह के पूर्वज भीमसिंह द्वारा खरीदी हुई होने का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कोई प्रमाण पत्रावली में मौजूद नहीं है। इस प्रकार से सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी कुन्दनसिंह के पक्ष में मानने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नही की है। प्रार्थी का वाद उदघोषणा का है। सजरा खानदान से स्पष्ट है कि दोनों पक्षकारान एक ही पूर्वज हरनाथ सिंह के वंशज है। तथा ग्राम गुंगारा में स्थित भूमियां हरनाथसिंह के दोनों पुत्रों भींवसिंह व नारायण सिंह को मिली है। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर विवेचन कर ताफैसला वाद उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नही पाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर